



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 641 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2000/आश्विन 7, 1922

No. 641 ]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2000/ASVINA 7, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2000

का.आ. 901(अ)— केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992

§ 1992 का 34§ की धारा 3 की उप धारा§1§ और उप धारा§2§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद् में सदस्यों के रूप निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 617§अ§, तारीख 30 जून, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

§1§ क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित

क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जायगी, अर्थात:-

"11" सुश्री टी. डी. प्रॉफ,

प्रशासनिक निदेशक,

सदस्य

विशेष शिक्षा वित्त महाविद्यालय,

समीप काला चौकी पुलिस थाना,

अभ्युदय नगर,

भवन सं. 12, टैंक रोड के सामने

मुम्बई महाराष्ट्र ।

॥ ११ ॥ क्रम संख्यांक 15, 16, 17, और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

15. डा. विजय शर्मा, सदस्य  
जे-4, जोर बाग रोड,  
नई दिल्ली-110003

16. डा. स्त. हरिहरन, सदस्य  
आचार्य और विभागाध्यक्ष,  
शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वासि,  
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज,  
त्रिवेन्द्रम, केरल

17. डा. एन. के. चक्रवर्ती, सदस्य  
विभागाध्यक्ष,  
शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वासि,  
जी. बी. हास्पिटल, अमरतला,  
त्रिपुरा

18. कर्नल प्रदीप कुमार, सदस्य  
उप कमाण्डेन्ट और ज्येष्ठ सलाहकार,  
कृत्रिम अंग केन्द्र,  
पुणे ।

[फा. सं. 25-4/2000-डीडी.-3]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: परिषद् का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सं. 25-1/88-एच. डब्ल्यू-3 तारीख 22 जून, 1993 के रूप में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्

परिषद् का पुनर्गठन अधिसूचना सं. का.आ. 125१अ१ तारीख  
14 फरवरी, 1998 का. आ. सं. 483१अ१ तारीख 3 जून, 1998  
और का.आ. 617१अ१ तारीख 30 जून, 2000 द्वारा किया  
गया था ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2000

S.O. 901(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 617 (E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2000, namely:-

In the said notification,-

(i) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“11. Mrs. T.D. Shroff, ..... Member”  
Administrative Director,  
Minds College of Special Education,  
Near Kala Chowki Police Station,  
Abhyudaya Nagar,  
Opposite Building No. 12, Tank Road,  
Mumbai (Maharashtra).

(ii) for serial numbers 15, 16, 17 and 18 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“15. Dr. Vijay Sharma, ..... Member  
J-4, Jor Bagh Road,  
New Delhi-110003.

16. Dr. S. Hariharan, ..... Member  
Professor & Head of Department,  
Physical Medicine & Rehabilitation,  
Government Medical College,  
Trivandrum (Kerala)

- 17. Dr. M.K. Chakraborty .....Member  
 Head of the Department,  
 Physical Medicine & Rehabilitation,  
 G.B. Hospital, Agartala,  
 Tripura.
- 18. Col. Pradip Kumar .....Member"  
 Deputy Commandant and Senior Advisor,  
 Artificial Limbs Centre,  
 Pune.

[F. No. 25-4/2000-DD.-III]

GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.

Note: The principal notification constituting the Council was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No.25-1/88-HW.III dated the 22<sup>nd</sup> June, 1993 and subsequently re-constituted vide No. S.O. 125(E) dated the 14<sup>th</sup> February, 1996, S.O. No. 483 (E) dated 3<sup>rd</sup> June, 1998 and S.O. No. 617 (E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2000.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535 ]

No. 535]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2003/ज्येष्ठ 23, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2003/JYAISTHA 23, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का. आ. 693(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद् में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1102(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"3 श्रीमती आशा मूर्ति

सदस्य"

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक/संयुक्त सचिव,  
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक,  
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,  
नई दिल्ली।

(ii) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"4क संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)

सदस्य"

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग,  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(iii) क्रम सं. 20 और क्रम सं. 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

"20 श्री तालिब हुसैन चौधरी,

सदस्य

संसद सदस्य (लोक सभा)

21. श्रीमती मेनका गांधी  
संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य"
- (iv) क्रम सं० 24 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—
- "24 श्री कनुभाई टेलर सदस्य"  
अध्यक्ष  
डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट  
1058, धोबी शेरी,  
नानपुरा,  
सुरत-3958001

[सं. 25-07/2002-डीडी-3]

श्रीमती राजवंत संधू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : परिषद् का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सं० 25-1/88-एच. डब्ल्यू-3 तारीख 22 जून, 1993 के रूप में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् परिषद् का पुनर्गठन अधिसूचना सं. का.आ. 125(अ) तारीख 14 फरवरी, 1996 का.आ. सं. 483(अ) तारीख 3 जून, 1998 और का.आ. 617(अ) तारीख 30 जून, 2000 तथा का.आ. 1102(अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2003

**S. O. 693 (E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002 namely:—

In the said notification,—

- (i) for serial number 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
- "3 Smt. Asha Mirty Member";  
Director General of Employment and Training/Joint Secretary,  
Director General Employment and Training,  
Ministry of Labour,  
Shram Shakti Bhavan,  
New Delhi.
- (ii) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
- "4A Joint Secretary (Secondary Education) Member";  
Department of Secondary and Higher Education,  
Ministry of Human Resources Development,  
Shastri Bhavan,  
New Delhi.
- (iii) for serial numbers 20 and 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—
- "20 Shri Talib Hussain Chowdhary Member.  
Member of Parliament (Lok Sabha)
21. Smt. Maneka Gandhi, Member";  
Member of Parliament (Lok Sabha)
- (iv) for serial number 24 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
- "24. Shri Kanubhai Tailor, Member";  
Chairman,  
Disabled Welfare Trust,  
1058, Dhobi Sheri, Nanpura,  
Surat—3958001

[F.No. 25-7/2002-DD-III]

Smt. RAJWANT SANDHU, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification constituting the Council was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. 25-1/88-HW-III dated the 22nd June, 1993 and subsequently reconstituted vide numbers S.O. 125(E) dated the 14th February, 1996; S.O. 483(E) dated the 3rd June, 1998; S.O. 617(E) dated the 30th June, 2000 and S.O. 1102(E) dated 21st October, 2002.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/आश्विन 8, 1925

No. 901 ]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2003/ASVINA 8, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

का.आ. 1140(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद् में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1102(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम संख्यांक 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- |     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 4ख. | श्री आर. साहा, सलाहकार/वैज्ञानिक जी,<br>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,<br>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,<br>प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली। | सदस्य;                |
| 4ग. | श्री जी. वेंकटेश्वर,<br>निदेशक (जी.सी.)<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय,<br>कृषि भवन, नई दिल्ली।  | सदस्य;                |
| 4घ. | डॉ. एच. सी. गोयल,<br>पुनर्वास विभाग का अध्यक्ष,<br>सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।  | सदस्य। <sup>(1)</sup> |

[फा. सं. 25-7/2002-डीडी-3]

श्रीमती राजवंत संधू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: परिषद् का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण सं. 25-1/88-एच डब्ल्यू-3 तारीख 22 जून, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, अधिसूचना सं. का.आ. 125(अ) तारीख 14 फरवरी, 1996, सं. का.आ. 483(अ) तारीख 3 जून, 1998, का.आ. 1102(अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2002 द्वारा पुनर्गठित की गई थी तथा उसके बाद का.आ. 693(अ) दिनांक 13 जून, 2003 द्वारा उसमें संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

S.O. 1140(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002, namely:—

In the said notification, after serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 4B. | Shri R. Saha,<br>Adviser/Scientist G,<br>Ministry of Science and Technology,<br>Department of Science and Technology,<br>Technology Bhawan, New Mehrauli Road,<br>New Delhi. | Member. |
| 4C. | Shri V. Venkatesan,<br>Director (GC),<br>Ministry of Rural Development,<br>Krishi Bhawan,<br>New Delhi.  | Member. |
| 4D. | Dr. H.C. Goyal,<br>Head of Rehabilitation Department,<br>Safdarjung Hospital,<br>New Delhi.  | Member. |

[F.No. 25-7/2002-DD-III]

Smt. RAJWANT SANDHU, Jt. Secy.

Note : The principal notification constituting the Council was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. 25-1/88-HW-III dated the 22nd June, 1993 and subsequently re-constituted vide number S.O. 125(E) dated the 14th February, 1996, number S.O. 483(E) dated the 3rd June, 1998, number S.O. 1102(E) dated 21st October, 2002 and subsequently amended vide number S.O. 693(E) dated 13th June, 2003.